राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 269/2017/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राहुल एन्टप्राइजेज,
मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.आर.सिंघवी,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38/आरवैट/जेयूडी/2015–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.07.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 4,67,713/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर द्वारा दिनांक 21.07.2015 को वाहन सं. RJ-19-GA-7053 को नेशनल हाईवे–8 बहरोड पर रोक कर चैक किया। पूछताछ के दौरान माल प्रभारी एवं वाहन चालक ने जाहिर किया कि उसके द्वारा जोधपुर से दिल्ली के लिए पोलिस्टर यार्न का परिवहन किया जा रहा है। वाहन में लदे माल से संबंधित जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी नं. 364/208736 दिनांक 20.07.15, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मुख्य चालान नं0 जेडीपी 18635 एवं उपचालान जेडीपी 20936 दिनांक 20.07.15, राहुल एन्टरप्राइजेज का वैट इनवोईस नं. 76 दिनांक 20.07.15, डिलीवरी चालान, 76 दिनांक 20.07.15 तथा नेशनल इश्योंरेन्स कम्पनी लिमिटेड का निबन्ध बीमा पॉलिसी कंवर सं. 4400000216 आदि दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष पेश किये। दस्तावेजों की जांच करने पर परिवहनित माल स्टॉक ट्रांसफर अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान परिवहन किया जाना पाया गया परन्तु परिवहनित माल के साथ वांछित विधिक घोषणा पत्र वेट–49 नहीं होने के कारण जांच अधिकारी ने अधिनियम की

लगातार.....2

धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन माना है। अतः वाहन को अधिनियम की धारा 76(5) में मय माल निरूद्ध किया जाकर कर भवन शाहजहांपुर में खडा करवाया गया एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को इस हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर, जाहिर किया कि फर्म द्वारा पॉलिस्टर यार्न दिल्ली शाखा को जरिये बिल नं. 76 दिनांक 20.07.15 एंव जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी नं 208736 द्वारा भेजा गया। प्रत्यर्थी फर्म द्वारा जारी मेन्यूल घोषणा पत्र 6810355 एवं जिस फर्म को स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था उस फर्म द्वारा दिल्ली राज्य का ऑन लाईन जररेटेड घोषणा पत्र टी–2 क्रमांक 901125423350715 दिनांक 20.07.15 जारी समय 4:35 पीएम. का ट्रांसपोर्ट कम्पनी को दिये जाने का उल्लेखित कर जाहिर किया कि ट्रांसपोर्टर की भूलवश घोषणा पत्र वैट–49 पीछे रहा है जो अब जारी नोटिस की पालना में ट्रांसपोर्टर की भूल का पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवहनित माल की समस्त प्रविष्टियॉ नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राजित थी एवं प्रत्यर्थी का कोई दोषी मनोभाव नहीं था। उक्त जवाब को अमान्य करते हुए धारा 76(6) मांग कायम करने हेतु पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अलवर द्वारा उक्त पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.07.15 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.07.2015 द्वारा माल कीमतन 15,59,044/– पर बिना घोषणा पत्र–49 संलग्न किये स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण, धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत से शास्ति रू 4,67,413/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व मांग आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.09.16 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है उन्होने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा पॉलिस्टर

लगातार.....3

यार्न दिल्ली शाखा को जरिये बिल नं. 76 दिनांक 20.07.15 एंव जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी नं 208736 द्वारा भेजा गया। प्रत्यर्थी फर्म द्वारा जारी मेन्यूल घोषणा पत्र 6810355 एवं जिस फर्म को स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था उस फर्म द्वारा दिल्ली राज्य का ऑन लाईन जररेटेड घोषणा पत्र टी–2 क्रमांक 901125423350715 दिनांक 20.07.15 को जारी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को दिये जाने का उल्लेखित कर जाहिर किया कि ट्रांसपोर्टर की भूलवश घोषणा पत्र वैट–49 पीछे रहा है जो नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया था। परिवहनित माल की समस्त प्रविष्टियॉ नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राजित थी एवं प्रत्यथी व्यवहार्री का कोई दोषी मनोभाव नहीं था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,चैकपोस्ट शाहजहांपुर बनाम मै0 हितेश कुमार विनोद कुमार बानसूर (2004) 8 टैक्स अपडेट पेज 70 प्रस्तुत करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 21.07.2015 का ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन को चैक करने पर पोलिस्टर यार्न जोधपुर से दिल्ली परिवहनित करना पाया गया। परिवहनित माल के साथ निम्न दस्तावेज पाये गये :–

(i). मैसर्स जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर की बिल्टी नं. 364–208736 दिनांक 20.07.15 जोधपुर से दिल्ली।

(ii). मैसर्स राहुल एन्टरप्राइजेज, पत्रकार कॉलोनी, जोधपुर, टिन नं. 08272709129 द्वारा जारी वैट इनवॉईस नं. 76 दिनांक 20.07.15 कीमतन रू 15,59,044/– एफ फॉर्म के विरूद्व प्रेषण

(iii). मैसस जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मुख्य चालान नं. जेडीपी 18635 दिनांक 20.07.15 उप–चालान जेडीपी–20936

(iv). नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी का निबन्ध बीमा पॉलिसी कवर सं 4400000216 दिनांक 20.07.15

स्टॉक ट्रांसफर अन्तर्राज्जीय व्यापार के दौरान परिवहनीत किया जाना पाया गया परन्तु परिवहन माल के साथ घोषणा पत्र वेट–49 नहीं पाया गया। व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब में वेट–49 व Form T-2 रेफरेन्स नं. 901125423350715 दिनांक 20.07.15 द्वारा NCT Delhi प्रस्तुत किये गये। माल के साथ मैसर्स जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर की बिल्टी नं. 364–208736 दिनांक 20.07.15 जोधपुर से दिल्ली, मैसर्स राहुल एन्टरप्राइजेज, पत्रकार कॉलोनी, जोधपुर, टिन नं. 08272709129 द्वारा जारी वैट इनवॉईस नं. 76 दिनांक 20.07.15 कीमतन रू 15,59,044/– एफ फॉर्म के विरूद्व प्रेषण, मैसस जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मुख्य चालान नं. जेडीपी 18635 दिनांक

लगातार.....4

20.07.15 उप–चालान जेडीपी–20936 एवं नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी का निबन्ध बीमा पॉलिसी कवर सं 4400000216 दिनांक 20.07.15 थे जो कि महत्तवपूर्ण दस्तावेज है जो माल के परिवहन के उद्देश्य को स्पष्ट करते है। वैट–49 व ऑन लाईन जनरेटिड Form T-2 नोटिस के जवाब में प्रस्तुत कर दिये है जिससे करापवंचना का कोई उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है। ऑन लाईन जनरेटिड घोषणा पत्र वैट 49 प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस भी जारी नही किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 124 एसटीसी 611 स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अनोदर बनाम डी.पी.मेटल्स में यह निर्धारित किया गया है कि यदि कारण बताओं नोटिस के जवाब में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाते है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शास्ति अपास्त की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य